5.1.2018 न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नगर उंटारी (गढ़वा)।

नामांतरण अपील वाद सं. 10/16-2017

रामाशंकर यादव वगैरह ——————→ अपीलार्थीगण

बनाम

अजय साव वगैरह ——————→ प्रत्यर्थीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता की ओर से अंचल अधिकारी, धुरकी द्वारा दिनांक 2.6..2016 को नामांतरण वाद सं.-02/16-17 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन-पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है। विलम्ब को दूर करने हेतु धारा 5 के तहत आवेदन-पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनी विलम्ब को दूर करते हुए अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई।

उभय पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम सगमा के खाता सं. 1 प्लॉट 1062 का कुल रकबा 2.52 एकड़ है। प्लॉट सं. 1062 के दरम्यानीहकदार जगनाथ महतो थे एवं प्रश्नगत प्लॉट उनकी बकास्त भूमि है। प्रश्नगत प्लॉट सहित अन्य भूमि जगनाथ महतो ने बद्री विशाल यादव को बन्दोबस्त कर दिया। उक्त बन्दोबस्ती के आधार पर सरकार के सिरिस्ते में कायम हुई। जो अभी तक कायम है। बद्री विशाल यादव ने वसीके दस्तावेज सं. 631 दिनांक 1.4.2010 को ग्राम-सगमा के खाता सं. 1 प्लॉट 1062 रकबा 0.29

एकड़ तथा प्लॉट सं. 704 रकबा 0.03¾ एकड़ कुल रकबा 0.32¾ एकड़ भूमि बिल्पी देवी के हाथों बिक्री कर दिए एवं उसका दखल-कब्जा सौंप दिया। अपीलार्थी सं. 2 यानि बिल्पी देवी ने नामांतरण कराकर सरकार के सिरिस्ते जमाबंदी कायम हो गई। प्लॉट सं. 1062 का शेष भूमि की जमाबंदी अभी भी अपीलार्थी यानि बद्री विशाल यादव के नाम से कायम है। बद्री विशाल यादव के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र इस वाद में अपीलार्थी सं. 1 है। यह की प्लॉट सं. 1062 से वर्तमान सर्वे में कई प्लॉट बने है, जिसका विवरण इस प्रकार है प्लॉट सं. 3667, 3668, 3672, 3673 एवं 3674 है। गलती से प्लॉट सं. 3673 रकबा 0.29डी. का नया खाता 140 में अंकित हो गया, जो पारसनाथ महतो के नाम से है। उक्त प्लॉट की जमाबंदी कभी पारसनाथ महतो के नाम से कायम नहीं हुई। नया सर्वे के आधार पर गत सर्वे में प्लॉट सं. 1062 में 0.28डी. भूमि विपक्षी सं. 2 ने विपक्षी सं. 1 के पक्ष में निबंधित केवाला सं. 558 दिनांक 18.4.2016 द्वारा हस्तांतरित कर दिया। जिसे अंचल अधिकारी के द्वारा शिविर में एक ही दिन यानि 2.6.2016 को नामांतरण की स्वीकृति दे दी गई। हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन ने गलत प्रतिवेदन समर्पित किया। जिसे अंचल अधिकारी बिना जांच-पड़ताल के ही आदेश पारित कर दिया गया, जो गलत है। जबकि प्रश्नगत भूमि का मांग विपक्षी सं. 2 के नाम से निर्धारण हुआ ही नहीं था।

अतः अंचल अधिकारी, चुरकी द्वारा दिनांक 2.6.2016 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत की जाए। अपीलार्थीगण अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किए है:—

(1) फार्म 11 की सच्ची प्रतिलिपि ⟶ 2 फर्द
(2) लगान रसीद बद्री विशाल यादव ⟶ 1 फर्द
(3) मांग पंजी II की सच्ची प्रतिलिपि ⟶ 1 फर्द
(4) क्रिमिनल केस नं. 25/2017 नाम बिल्पी देवी ⟶ 6 फर्द
(5) वाद सं. 25/2017 में दाखिल कागजात ⟶ 1 फर्द
(6) केवाला सं. 631 दिनांक 1.4.2010 की छाया प्रति ⟶ 6 फर्द
(7) नामांतरण वाद सं. 199/13-14 नाम बिल्पी देवी ⟶ 1 फर्द

(8) सरकारी लगान रसीद झिलमी देवी —————— 1 फर्द
(9) सरकारी लगान रसीद बद्री विशाल यादव —————— 1 फर्द
(10) केवाला सं. 558 दि. 18.4.2016 की छाया प्रति —————— 12 फर्द
(11) हाल सर्वे खतियान की छाया प्रति —————— 2 फर्द

34 फर्द

प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम-सगमा के खाता सं. 1 प्लॉट 1062 का कुल खतियानी रकबा 2.52 एकड़ है जिसे प्रत्यार्थी स्वीकार करते हैं। प्रत्यार्थी का यह भी कथन है कि गत सर्वेक्षण काल में प्रश्नगत खाता प्लॉट लालजी महतो एवं द्वारिका महतो की खतियानी भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा बहस के दौरान यह तथ्य लाया गया कि प्रश्नगत प्लॉट का संपूर्ण रकबा 2.52 ए० जगन्नाथ महतो के हिस्सा में मिला, जिसे एक मात्र पुत्र बद्री विशाल यादव को बन्दोबस्त कर दिया गया यह बात गलत है। खतियानी रैयतों के बीच बटवारा में 1/2 हिस्सा यानि 1.25 1/2 एकड़ के अनुसार दखल-कब्जा में आया। द्वारिका महतो के पुत्र दखाई महतो तथा दखाई महतो के पुत्र जगन्नाथ महतो हुए। जगन्नाथ महतो के छः पुत्र हैं, जिनके बीच बराबर-बराबर हिस्सा बटा। जिसमें हिस्सा के अनुसार 0.21 डी. प्रत्येक के हिस्सा में भूमि प्राप्त हुआ। जबकि जगन्नाथ महतो को उनके हिस्से के अनुसार 1.25 1/2 एकड़ ही मिला, जिनके छः पुत्र हैं तो मात्र एक पुत्र को अपने हिस्से से अधिक भूमि कैसे बन्दोबस्त कर दिए। यह विचारणीय प्रश्न है। अपीलार्थी का तथ्य एकदम ही गलत है। आज तक प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी बद्री विशाल यादव के नाम से नहीं हुआ है। प्रत्यार्थी सं. 2 के पूर्वज नाथा महतो अपने जीवन काल में ही खाता सं. 1 प्लॉट 1062 रकबा 0.28 डी. के साथ अन्य प्लॉट की भूमि का रिटर्न जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् रिटर्न दाखिल किया एवं रिटर्न के आधार पर ही जमाबंदी सृजन हुई तब से लेकर आजतक उक्त भूमि का लगान प्रत्यार्थी सं. 2 के द्वारा दी जा रही है। उक्त दखल-कब्जा के आधार पर ही हाल सर्वे में प्रश्नगत भूमि का पर्चा निर्गत किया गया।

यदि प्रत्यार्थी के नाम से गलत पर्चा निर्गत किया गया तो उसके विरुद्ध अपीलार्थी के द्वारा कहीं अपील दायर नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा यह भी कहा गया कि गलती से खाता 150 की भूमि खाता 140 में ही रह गया है। अपीलार्थी के पिता सर्वे कितेवार से लेकर अंतिम प्रकाशन तक किसी भी सक्षम न्यायालय में न तो चुनौती ही दी और न अपील ही दायर किया। अपीलार्थीगण का आरोप निराधार एवं तथ्यहीन है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन सीमांकन कर रसुवागही की। तत्पश्चात प्रश्नगत भूमि की बिक्री अवर निबंधक पदाधिकारी के द्वारा प्रत्यार्थी सं. 1 के पक्ष में केवाला का निष्पादन किया। प्रत्यार्थी सं. 1 के द्वारा शिविर में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया। जिसपर जांच-प्रतिवेदन दिया गया तब अंचल अधिकारी के द्वारा नियमानुसार नामांतरण की स्वीकृति दी है। अपीलार्थी के द्वारा के द्वारा लगाये गए आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है।

अतः अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 2.6.2016 को पारित आदेश यथावत बहाल रखते हुए अपील आवेदन-पत्र अस्वीकृत की जाए।

~~प्रत्यार्थी~~ अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किए हैं:—

(1) खतियान नाका महतो के नाम ——→ 1 फर्द
(2) रिटेन ,, ,, ——→ 2 फर्द
(3) लगान रसीद नाका महतो ,, ——→ 1 फर्द
(4) लगान रसीद अर्जुन साव ——→ 1 फर्द
(5) केवाला सं. 558 दि. 18.5.16 ——→ 12 फर्द
(6) नया खतियान पारसनाथ महतो वो० ——→ 1 फर्द
(7) मांग पंजी II ,, ,, ——→ 1 फर्द
(8) मांग पंजी II वही विशाल यादव ——→ 1 फर्द
(9) बटवारा वाद सं 25/17 शिल्पी देवी ——→ 2 फर्द

22 फर्द

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उपलब्ध कागजातों एवं अंचल अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि का मांग प्रत्यार्थी सं. 2

के पूर्वज नाका महतो के नाम से चलता है जिसका मांग पंजी II के पेज नं 87/1 पर कायम है जिसके आधार पर अंचल अधिकारी के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण की स्वीकृति दी गई है जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा यह कहा गया कि गलती से प्रश्नगत भूमि उनके नाम से कायम हो गया है, जिसका डिमाण्ड प्रत्यार्थीगण के नाम से आजतक नहीं चलता है जबकि राजस्व कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का मांग प्रत्यार्थी के पूर्वज के नाम से कायम है अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व से प्रत्यार्थीगण के नाम से चल रहे मांग के विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील भी दायर नहीं किया है

अत: अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल अपील आवेदन-पत्र अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, धुर्की द्वारा नामांतरणवाद सं 02 शिविर/2016-17 में दिनांक 2.6.2016 को पारित आदेश यथावत बहाल रखा जाता है

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को भेजें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
नगर उंटारी

भूमि सुधार उप समाहर्ता
नगर उंटारी।